संख्या–340 /26–ब0प्र0–2010–10(10)/2005

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण लखनऊ, दिनांकः 22 अप्रैल, 2010

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–32/स0क0/विकास/आ0प0वि0/2010–11, दिनांक 9–4–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार रू0 35,00,71,000/– (रूपये पैतीस करोड़ इकहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि हजार रू0 में)

अनुदान संख्या/योजना /मद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि
अनुदान संख्या–83–आयोजनागत–	
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	
12–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–	
01–वेतन–	22624
02–मजदूरी	1080
03–मंहगाई भत्ता	7466
04–यात्रा व्यय	800
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय–	600
06–अन्य भत्ते	1952
07–मानदेय–	500
08–कार्यालय व्यय–	2000
09–विद्युत देय	15000
10–जलकर/जल प्रभार	100
11–लेखन सामग्री और फार्मा की छपाई	1710
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1140

13–टेलीफोन पर व्यय	521
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	200
17–किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	100
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1
26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	200
29–अनुरक्षण	2000
31–सामग्री और सम्पूर्ति	62000
39–औषधि तथा रसायन	1620
41–भोजन व्यय	226000
42–अन्य व्यय	500
45–अवकाश यात्रा व्यय	800
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का कय	600
49–चिकित्सा व्यय	500
51–वर्दी व्यय	57
योग–	350071

(रूपये पैतीस करोड़ इकहत्तर हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि से उक्त विद्यालयों का संचालन चालू शैक्षिक सत्र 2010–11 से ही प्रारम्भ किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय संचालन होने की दशा में ही आवश्यक सामग्री आदि का कय किया जाय।

(2) उक्त विद्यालय के संचालन हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को आपके प्रस्तावानुसार विद्यालय के उपयोगार्थ सामग्री सम्पूर्ति आदि का कय समय–समय पर निर्गत शासनादेशों तथा स्टोर परचेज नियमों के तहत किया जायेगा। कम्प्यूटर आदि का कय आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स विभाग के संगत शासनादेशों के आलोक में किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि भरे हुए पदों के सापेक्ष व्यय की जायेगी तथा कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि का तुरन्त व्यय किये जाने की आवश्यकता हो । आवश्यकता से अधिक धनराशि का आहरण कदापि न किया जाय।

(4) शासन द्वारा निर्धारित मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोग स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त उल्लिखित मानक की मदों में ही किया जायेगा। किसी भी मद में व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

(5) वर्ष 2010–11 में दिनांक 31–3–2011 तक व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र समय से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और जो धनराशि व्यय हेतु अवशेष बच जाय उसे शासन को समयान्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

2– उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व्यय 2010–2011 के आय व्ययक में अनुदान सं0–83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक– 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–आयोजनागत–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–12–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–1–951/दस– 2010–231/2010 दिनांक 26–3–2010 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव ।

संख्या– 340 (1)/26–ब0प्र0–2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/ वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–1/2
5– राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2
6– निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
7– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव